न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(डॉ.भंवर लाल, आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

नामान्तरण अपीलः 11/2023

दायर दिनांकः 04.08.2023

निर्णय दिनांक 12.03.2024

–:अनवान:–

श्रीमती चेनीबाई पत्नी स्व. श्री लक्ष्मण सिंह खरवड आयु 80 वर्ष निवासी सांगठ खुर्द पटवार क्षेत्र सांगठ कला तहसील व जिला राजसमन्द।

– **अपीलांट**

बनाम

तहसीलदार राजसमन्द तहसील व जिला राजसमन्द।

– **रेस्पोडेंट**

अपील विरूद्ध ग्राम सांगठ खुर्द के नामांतरण संख्या 904 दिनांक 19/06/2015 द्वारा तहसीलदार राजसमन्द तहसील व जिला राजसमन्द

उपस्थितः--

1– श्री प्रवीण मण्डोवरा, अधिवक्ता अपीलार्थी

2– श्री अनील बागोरा, राजकीय अधिवक्ता

–:: निर्णय ::–

प्रस्तुत अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम सांगठ खुर्द पटवार क्षेत्र सांगठ कला तहसील व जिला राजसमन्द में अपीलांट के पति स्व. श्री लक्ष्मण सिंह पिता श्री पेम सिंह जी खरवड की खातेदारी कृषि भूमियाँ स्थित होकर उक्त श्री लक्ष्मण सिंह पिता श्री पेम सिंह जी खरवड का स्वर्गवास दिनांक 23/01/2012 को हो चुका है। उक्त श्री लक्ष्मण सिंह जी के स्वर्गवास होने पर उनकी खातेदारी कृषि भूमियों का विरासत से जो नामान्तरण खोला गया, उसे ग्राम सांगठ खुर्द के नामान्तरण संख्या 904 पर दर्ज किया गया उक्त नामान्तरण में राजस्व कर्मचारियो व अधिकारीयों ने भुलवश स्व. श्री लक्ष्मण सिंह जी की पत्नी अपीलांट श्रीमती चेनी बाई के स्थान पर उक्त श्री लक्ष्मण सिंह जी की माता श्रीमती रोडीबाई का नाम अंकित कर दिया गया अर्थात चेनीबाई पत्नी लक्ष्मण सिंह के स्थान पर भुलवश रोडीबाई पत्नी लक्ष्मणसिंह अंकित कर दिया गया जबकि उक्त रोडीबाई स्व. श्री लक्ष्मण सिंह की माता होकर उक्त रोडीबाई का स्वर्गवास श्री लक्ष्मण सिंह के स्वर्गवास के काफि समय पुर्व ही हो चुका है। दिनांक 15/07/2023 को अपीलाट द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में आवेदन करने

न्यायालय जिला कलक्टर

हेतु जमाबनदी की नकल प्राप्त करने पर अपीलांट को उक्त भुल की जानकारी हुई है। तहसीलदार राजसमन्द द्वारा ग्राम सांगठखुर्द के नामांतरण संख्या 904 के नामान्तरण की नकल साथ संलग्न कर उक्त नामान्तरण में अपीलांट चेनीबाई के स्थान पर उसकी सास रोड़ीबाई का नाम अंकित कर दिये जाने से दुखी पिडीत एवं रूष्ट होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील पेश की हैं। तहसीलदार राजसमन्द का उक्त आदेश बाबत नामान्तरण अवैध विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के खिलाफ होकर काबिले निरस्त है। तहसीलदार राजसमन्द द्वारा मृतक श्री लक्ष्मण सिंह पिता श्री पेम सिंह जी खरवड के विधिक वारिसान व उनके वास्तविक नामो की जांच किये बिना ही यह नामान्तरण फैसल कर दिया गया है जो अवैध एवं विधि विरुद्ध है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार राजसमन्द द्वारा फैसल ग्राम सांगठखुर्द के नामान्तरण संख्या 904 दिनांक 19/06/2015 में लक्ष्मण सिंह की पत्नी का वास्तविक नाम चेनीबाई अंकित कराया जाने व चेनीबाई के स्थान पर भुलवश अंकित नाम रोडीबाई को विलोपित किये जाने का आदेश पारित फरमाया जावे।

अपील को दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थिति दी।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण सन्तोषप्रद होने से विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाकर धारा 5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

अधिवक्ता अपीलांट तथा राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने बहस कथन में निवेदन किया है किग्राम सांगठ खुर्द पटवार क्षेत्र सांगठ कला तहसील व जिला राजसमन्द में अपीलांट के पति स्व. श्री लक्ष्मण सिंह पिता श्री पेम सिंह जी खरवड की खातेदारी कृषि भूमियाँ स्थित होकर उक्त श्री लक्ष्मण सिंह पिता श्री पेम सिंह जी खरवड का स्वर्गवास दिनांक 23/01/2012 को हो चुका है। उक्त श्री लक्ष्मण सिंह जी के स्वर्गवास होने पर उनकी खातेदारी कृषि भूमियों का विरासत से जो नामान्तरण खोला गया, उसे ग्राम सांगठ खुर्द के नामान्तरण संख्या 904 पर दर्ज किया गया उक्त नामान्तरण में राजस्व कर्मचारियो व अधिकारीयों ने भुलवश स्व. श्री लक्ष्मण सिंह जी की पत्नी अपीलांट श्रीमती चेनी बाई के स्थान पर उक्त श्री लक्ष्मण सिंह जी की माता श्रीमती रोडीबाई का नाम अंकित कर दिया गया अर्थात चेनीबाई पत्नी लक्ष्मण सिंह के स्थान पर भुलवश रोडीबाई पत्नी लक्ष्मणसिंह अंकित कर दिया गया जबकि उक्त रोडीबाई स्व. श्री लक्ष्मण सिंह की माता होकर उक्त रोडीबाई का स्वर्गवास श्री लक्ष्मण सिंह के स्वर्गवास के काफि समय पुर्व ही हो चुका है। दिनांक 15/07/2023 को अपीलाट द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में आवेदन करने हेतु जमाबनदी की नकल प्राप्त करने पर अपीलांट को उक्त भुल की जानकारी हुई है। तहसीलदार राजसमन्द द्वारा ग्राम सांगठखुर्द के नामांतरण संख्या 904 के नामान्तरण की नकल साथ संलग्न कर उक्त नामान्तरण में अपीलांट चेनीबाई के स्थान पर उसकी सास रोड़ीबाई का नाम अंकित कर दिये जाने से दुखी पिडीत एवं रूष्ट होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील पेश की हैं। तहसीलदार राजसमन्द का उक्त आदेश बाबत नामान्तरण अवैध विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के खिलाफ होकर

न्यायालय जिला कलक्टर

काबिले निरस्त है। तहसीलदार राजसमन्द द्वारा मृतक श्री लक्ष्मण सिंह पिता श्री पेम सिंह जी खरवड के विधिक वारिसान व उनके वास्तविक नामो की जांच किये बिना ही यह नामान्तरण फैसल कर दिया गया है जो अवैध एवं विधि विरुद्ध है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार राजसमन्द द्वारा फैसल ग्राम सांगठखुर्द के नामान्तरण संख्या 904 दिनांक 19/06/2015 में लक्ष्मण सिंह की पत्नी का वास्तविक नाम चेनीबाई अंकित कराया जाने व चेनीबाई के स्थान पर भुलवश अंकित नाम रोडीबाई को विलोपित किये जाने का आदेश पारित फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा पारित किया गया आक्षेपित नामान्तरण विधिनुकूल न होकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गयी। बहस पर गहन मनन तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19.06.2015 को फैसल किये गये नामान्तरण संख्या 904 को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि अपीलान्ट स्वर्गीय श्री लक्ष्मणसिंह खरवड की पत्नि है जबकि आक्षेपित नामान्तरण में भूलवश अपीलान्ट के पति की माताजी रोडीबाई का नाम दर्ज हो गया है जबकि रोडीबाई का स्वर्गवास मृतक लक्ष्मण सिंह के स्वर्गवास से काफी समय पूर्व हो गया है। जिसकी पुष्टी राजकीय अधिवक्ता द्वारा भी की गई है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 904 दिनांक 19.06.2015 को अपास्त कर पुनः नियमानुसार जॉच कार्यवाही की जाकर प्रकरण का नये सिरे से विधिक प्रक्रिया से निस्तारण किया जाना विधिसम्मत हैं।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निष्पादित नामान्तरकरण संख्या 904 दिनांक 19.06.2015 को अपास्त किया जाता हैं। प्रकरण तहसीलदार, राजसमंद को प्रतिप्रेषित (Remand) कर आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार जॉच कार्यवाही की जाकर उपरोक्त नामांतरण के संबंध में विधिक प्रक्रियानुसार नये सिरे से लक्ष्मणसिंह के समस्त विधिक वारिसान के पक्ष में नामान्तरकरण खोलने की कार्यवाही सम्पादित करें।

(डॉ. भंवर लाल)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 12.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

(डॉ. भंवर लाल)
जिला कलक्टर
राजसमंद